रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007 / चैत्र 7, 1929

No. 153] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

सा.का.नि. 253(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

"सं.आ. 226

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 9 आदेश, 2007

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:–

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 9 आदेश, 2007 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी, अर्थात्:–

सारणी

राज्य	रुपए करोड़ में
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	262.94
हिमाचल प्रदेश	2107.14
जम्मू-कश्मीर	2446.64
मणिपुर	841.17
मेघालय	359.02
मिजोरम	556.52
नागालैंड	1037.66
पंजाब	922.64
सिक्किम	47.06
त्रिपुरा	1064.30
उत्तराखंड	1064.30
पश्चिमी बंगाल	605.82

(2) उप पैरा (1) में सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशियां, बारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए सिफारिश की गई रकम है।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए सिफारिश किए गए गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान के 15 प्रतिशत को रोकने और उतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार से लेकर एक प्रोत्साहन निधि में जमा करने की सिफारिश की थी, जिसमें से सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन के

आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु राज्य को वर्ष के दौरान प्रोत्साहन निधि से 2004-05 के दौरान राज्य के राजवित्तीय निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन निधि में केन्द्र के अंशदान के रूप में 96.92 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

(4) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(10)/2007-वि. I]

के.एन. चतुर्वेदी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

G.S.R.253(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 226

The Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2007

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commissions, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 9 Order, 2007.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2006, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the column (2) of the said Table, namely :—

TABLE

State	Rupees in Crore
(1)	(2)
Arunachal Pradesh	262.94
Himachal Pradesh	2107.14
Jammu and Kashmir	2446.64
Manipur	841.17
Meghalaya	359.02
Mizoram	556.52
Nagaland	1037.66
Punjab	922.64
Sikkim	47.06
Tripura	1064.30
Uttarakhand	1064.30
West Bengal	605.82

(2) The sums specified in column (2) of the Table in sub-paragraph (1) represent the amount recommended by the Twelfth Finance Commission for the year 2006-07.

(3) The Eleventh Finance Commission in its report on the additional terms of reference had recommended withholding of 15 per cent of the non-plan revenue deficit grant recommended to the States with matching contribution by the Central Government for crediting into an Incentive Fund from which fiscal performance based grants were required to be released to all the States. During the year Rs. 96.92 crore was released to State of Tamil Nadu from the Incentive Fund based on the fiscal performance of State during 2004-05 as Centre's contribution to the Incentive Fund.

(4) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President."

[F. No. 19(10)/2007-Leg. I]

K. N. CHATURVEDI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.